प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 सूनी गई । **वकील प्रार्थी प्रतिवादी** ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी ख0 सं0 24 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, ख0सं0 725/345 रकबा 2 बिस्वा,ख0सं0 741/472 रकबा 1 बिस्वा, ख0सं0 765/238 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा बाबत वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है। उक्त वाद पत्र को दिनांक 13.6.2018 को पेश किया गया है। उक्त वाद वर्णित आराजी बाबत एक अन्य वाद रामलाल बनाम मिथलेश वगै0 वाद पत्र सं0 50/2012 पूर्व से ही विचाराधीन है। उक्त दोनो वाद की विषयवस्तु, पक्षकार समान है उक्त वाद सं0 50/2012 पूर्ववर्ती वाद है एवं वाद सं0 56/2018 पश्चातवर्ती वाद है। अतः पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित की जावे। **वकील अप्रार्थी वादी** ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कथन सही है कि वाद विषय आराजी एवं पक्षकार समान है किन्तु पूर्ववर्ती वाद वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा बाबत पेश किया गया है जबकि पश्चातवर्ती वाद वास्ते कब्जा भूमि एवं नियुक्त करने रिसीवर पेश किया गया है। उक्त दोनो प्रकरणो में पृथक–पृथक अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती वाद को स्थगित किया जाता है तो वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने से वंचित होगा, जो न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र ,जवाब प्रार्थना पत्र एवं वाद सं0 50/2012 व वाद सं0 56/2018 का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो वाद एवं प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यो का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दोनो प्रकरणो में पक्षकार एवं वाद वर्णित आराजी समान है किन्तु पूर्ववर्ती वाद वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा बाबत पेश किया गया है जबकि पश्चातवर्ती वाद वास्ते कब्जा भूमि एवं नियुक्त करने रिसीवर पेश किया गया है। उक्त दोनो प्रकरणो में पृथक–पृथक अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में यदि पश्चातवर्ती वाद को स्थगित किया जाता है तो पश्चातवर्ती वाद में वांछित अनुतोष से वादी वंचित हो जावेगा। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त वाद सं0 56/2018 बउनवान मिथलेश बनाम रामलाल वगै0 को पूर्ववर्ती वाद सं0 50/2012 बउनवान रामलाल बनाम मिथलेश वगै0 के साथ समेकित किया जाकर दोनो प्ररकणो की कार्यवाही एक साथ जैरकार किये जाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वाद सं0 50/2012 बउनवान रामलाल बनाम मिथलेश वगै0 के साथ समेकित की जावे।	